फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामसिंह **विपक्षी : श्री मनोहरसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 117/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.09.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसकी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी उक्त भूमि को खातेदार नहीं होते हुए प्रार्थी के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी करने से विपक्षी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहता हैं। चूंकि विपक्षी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होने से विपक्षी को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी को पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं। विपक्षी को रोका नहीं जाता है तो इससे प्रार्थी खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं प्रार्थी को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धर्मेता पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 1266 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थी को अपनी भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करें। उक्त कार्य न स्वयं करे न ही नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Kapil Kumar Kothari Date: 2022.10.07 16:28:14 IST Reason: SelfAttested (कपिल कुमार कोठारी) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	